

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं.प्रा.प./174/2008

दर्ज दिनांक:-26.06.2008

1. फूलनदेई पता-प्राथी
बनाम
2. छीतरिया पता-अप्राथीगण

तलेराम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 13.08.2019

पत्रावली पेश हुई। मूल वाद मैरिट पर खारिज किया जा चुका है।
अतः प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पारित दिनांक
01.06.2017 स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official